न्यायालयः- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मनोहरथाना जिला-झालावाड़ (राज)

पीठासीन अधिकारी	-	**श्रीमती रचना वैष्णव, आर०जे०एस०**
फौ०नि०प्रकरण संख्या	-	**765/2016**
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं०	-	**56/2016,**
पुलिस थाना	-	**दांगीपुरा**
सी.एन.आर. नम्बर	-	RJJW180002492016

सरकार

अभियोगी...

बनाम

जगन्नाथ पुत्र रतनलाल उम्र 75 वर्ष निवासी मेडी का पुरा हनोतिया पुलिस थाना दांगीपुरा जिला झालावाड़ (राज०)

अभियुक्त...

अपराध अन्तर्गत धारा 332, 353 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितः-

1- अभियोजन अधिकारी राज्य सरकार की ओर से।

2- श्री कैलाशचंद वैष्णव, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

निर्णय **दिनांक-23.07.2026**

घटना की दिनांक	16.04.2016
प्रथम सूचना की दिनांक	16.04.2016
अंतिम परिणाम प्रस्तुत करने की दिनांक	09.09.2016
आरोप विरचन की दिनांक	30.05.2018
साक्ष्य आरंभ होने की दिनांक	30.05.2018
निर्णय की दिनांक	23.07.2026
निर्णय	दोषसिद्ध

01. थानाधिकारी पुलिस थाना, दांगीपुरा की ओर से जरिए अभियोजन अधिकारी यह आरोप पत्र भारतीय दण्ड संहिता की धारा 332, 353 का अपराध कारित किए जाने का अभियोग लगाते हुए अभियुक्त जगन्नाथ के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 09.09.2016 को पेश किया गया।

02. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी रंगलाल कानि0 ने उपस्थित थाना दांगीपुरा होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह चौकी कोलुखेड़ी कला थाना दांगीपुरा पर कानि. के

पद पर दिनांक 08.07.2015 से तैनात है। दिनांक 16.04.2016 को सुबह 8 बजे करीब वह व हेमराज कानि. 610 मोटरसाईकिल लेकर चौकी कोलुखेड़ी से वास्ते करने पाबन्द परिवादी कँवरलाल कहार निवासी पँचपीपली को श्रीमान अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक के आर/जी क्रमांक 739 दिनांक 13.04.2016 की पालना हेतु मौजा पँचपीपली जा रहे थे कि हनोतियाँ भुतिया का पुरा पहुँचे तो वहाँ पर जगन्नाथ पुत्र रतनलाल ने उनके पत्थर की मारी जो उसकी मोटरसाईकिल के पीछे बैठे के सिर मे बाँयी तरफ लगी, जिससे उसके खुन निकल आया तथा दोनो मोटरसाईकिल रोककर नीचे ऊतर कर पीछा किया तो जगन्नाथ खेतों की तरफ बरड़ी मे भाग गया। दिनांक 07.04.2016 को भी हेमराज व सुरेन्द्र कानि. के साथ जगन्नाथ पुत्र रतनलाल व उसका लड़का रायसिह ने वास्ते जाँच परिवाद शीलाबाई पत्नी मोरसिह को दौराने भी मोटरसाईकिल पर पत्थर फैके थे। इसी बात को लेकर आज भी जगन्नाथ भील ने उनके साथ राजकार्य मे बाधा उत्पन्न कर उसके साथ पत्थर फेंककर मारपीट करने से उसके सिर में चोट आई है। घटना के समय हेमराज कानि. व उसके अलावा वहाँ पर कोई मौजुद नही था। ये लोग कभी भी उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना घटित कर सकते है, इत्यादि।

03. उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना दांगीपुरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 56/2016, अन्तर्गत धारा 332, 353 भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। बाद अनुसंधान अभियुक्त जगन्नाथ के विरूद्ध आरोप-पत्र अन्तर्गत धारा 332, 353 भा.दं.सं. में पेश न्यायालय किया गया। जिसपर अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराध के आरोपों में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

04. बहस चार्ज सुनी गई। अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 332, 353 भा.दं.सं. के अपराध के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए तो अभियुक्त द्वारा इन्कार कर अन्वीक्षा चाही गई।

05. अभियोजन की ओर से साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित करवाया गया है-

अभियोजन साक्षी क्रमांक	**साक्ष्य की प्रकृति**
01. किसनाराम	फर्द गिरफ्तारी गवाह
02. हेमराज	चश्मदीद साक्षी
03. रंगलाल	परिवादी
04. मितेश	फर्द गिरफ्तारी गवाह
05. छन्नू पठान	अनुसंधानकर्ता

तथा दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया-

प्रदर्श क्रमांक	दस्तावेजात का विवरण	साबित करने वाले साक्षी
प्रदर्श पी01	फर्द गिरफ्तारी जगन्नाथ	साक्षी क्रमांक 1,4,5

प्रदर्श पी02	तहरीरी रिपोर्ट	साक्षी क्रमांक 2,3,5
प्रदर्श पी03	चाक एफआईआर	साक्षी क्रमांक 2,3,5
प्रदर्श पी04	नक्शामौका	साक्षी क्रमांक 2,3,5
प्रदर्श पी05	चोट प्रतिवेदन रंगलाल	साक्षी क्रमांक 3,5
प्रदर्श पी06	रेडियोग्राम की प्रमाणित प्रति	साक्षी क्रमांक 5

06. साक्ष्य अभियोजन समाप्त होने पर अभियुक्त को धारा 313 द.प्र.स. के तहत परीक्षित किया गया, तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा तथा स्वयं को निर्दोष होना अभिकथित किया।

07. बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

08. दौराने बहस अभियोजन अधिकारी के द्वारा जाहिर किया गया कि प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप संदेह से परे प्रमाणित हैं। अतः अभियुक्त को आरोपित आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किया जाए।

09. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियोजन की ओर से गवाहान की साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। अतः संदेह का लाभ दिया जाकर अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाए।

10. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष प्रकरण के निस्तारणार्थ मुख्य रूप से अवधारणीय बिन्दु यह है कि:-

> **‘‘1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 16.04.2016 को समय 8.00 बजे या इसके लगभग, मौजा/स्थान कोलूखेडी चौकी से मौजा पंचपीपली में परिवादी रंगलाल व हेमराज पुलिस कानि. जो लोकसेवक थे और उस समय जब वे लोकसेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन करने मोटरसाईकिल से जा रहे थे, उनको लोकसेवक के नाते उनके कर्तव्य निर्वहन से भयोपरत करने के आशय से उन पर पत्थर फैंककर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया एवं परिवादी पुलिस कानि. रंगलाल के साथ पत्थर से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की?**
>
> **2. यदि हां, तो अभियुक्त को दण्ड की किस मात्रा से दण्डित किया जाए?‘‘**

11. आपराधिक विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को उसकी कहानी अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध एवं

प्रमाणित करना होता है। उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 05 गवाहों को परीक्षित करवाया गया है। जिनमे से गवाह संख्या पी.ड.03 रंगलाल प्रकरण का परिवादी है तथा गवाह संख्या पी.ड.02 हेमराज मौके पर जाप्ते में मौजूद अन्य गवाह है।

12. गवाह पी.ड.03 रंगलाल ने उसके बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 16.04.2016 को पुलिस थाना दांगीपुरा चौकी कोलखेडी कलां पर कानि० के पद पर कार्यरत था। उस दिन वह व हेमराज कॉनि. दोनो मोटरसाइकिल से श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त वायरलेस की पालना में कंवरलाल कहार निवासी पंचपिपली को पाबंद करने के लिए पंचपिपली जाने के लिए सुबह 8 बजे रवाना हुये थे। वह मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा था, हेमराज चला रहा था। वह भुतिया का पुरा के पास पहुंचे तो जगन्नाथ भील ने पीछे से उसके पत्थर की मारी जो सिर में पीछे की तरफ बायी ओर लगी थी, जिससे खून आ गया था। उन्होने मोटरसाईकिल रोककर जगन्नाथ का पीछा किया, तो वह बल्डी की तरफ भाग गया। इससे कुछ दिन पहले दिनांक 07.04.2016 को जगन्नाथ व उसके लडके रायसिंह ने किसी अन्य प्रकरण में जांच करने के लिए गये हुये पुलिस वाले हेमराज व सुरेंद्र पर पत्थर फेंके थे। जगन्नाथ ने इसी घटना को लेकर उनके उपर पत्थर फेंके थे। फिर उसने वापसी थाना पर लिखित रिपोर्ट एसएचओ साहब को पेश की थी जो प्रदर्श पी० 02 है। चॉक एफआईआर प्रदर्श पी० 03 है। अनुसंधान अधिकारी ने उसके समक्ष नक्शामौका बनाया था जो प्रदर्श पी० 04 है। उसकी चोटो का मेडिकल हुआ था, चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी० 05 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसकी राजस्थान पुलिस में नियुक्ति सन 2013 में हुयी थी। ट्रेनिंग समाप्त होने पर पहली पोस्टिंग कोलूखेडी चौकी पर हुयी थी। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह का कथन रहा है कि वह चौकी से सुबह 8 बजे के लगभग रवाना हुये थे। गवाह ने स्वीकार किया है कि जगन्नाथ पत्थर फेंककर भाग गया था। गवाह ने इस सुझाव का गलत होना बताया कि मोटरसाइकिल से गिरने से उसके सिर में चोट आयी हो। गवाह नक्शामौका बनाते समय मौके पर ही उपस्थित था। गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि उसने जगन्नाथ का नाम झुठा लिखाया हो।

13. गवाह पी.ड.02 हेमराज ने उसके बयानों में बताया है कि वह दिनांक 16.04.2016 को थाना दांगीपुरा से अस्थाई तौर पर चौकी कोलूखेडी कला पर कॉनि. के पद पर तैनात था। उस दिन श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के आरजी कमांक 739 दिनांक 13.04.2016 की पालना में फरियादी कंवरलाल कहार निवासी पंचपिपली को पाबंद करवाने के लिए वह व रंगलाल कॉनि० मय प्राइवेट मोटरसाइकिल से चौकी से रवाना होकर

पंचपिपली जा रहे थे, तो हनोतिया भुतियापुरा के पास जगन्नाथ पुत्र रतनलाल भील ने उन पर पत्थर फेंके, जिससे रंगलाल कॉनि. के सिर में पत्थर लगने से चोट आयी। फिर उन्होने मोटरसाइकिल रोककर पीछा किया, तो वह बल्डी की तरफ भाग गया। दिनांक 07.04.2016 को जगन्नाथ व उसके पुत्र रायसिंह ने फरियादी शीलाबाई पत्नी मोरसिंह भील के परिवाद में जांच हेतु वह, सुरेंद्र कॉनि. गये थे तो उस दिन भी इन्होंने पत्थर फेंके थे और उसी बात को लेकर 16.04.2016 को भी पत्थर फेंककर राजकार्य में बाधा पहुंचायी। वापसी थाना पर रंगलाल व उसने घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। रिपोर्ट प्रदर्श पी० 02 है। चॉक एफआईआर पद्रर्श पी० 03 है। अनुसंधान अधिकारी ने उसके समक्ष नक्शामौका बनाया जो प्रदर्श पी० 04 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। शीलाबाई वाले परिवाद में अभियुक्त जगन्नाथ का पुत्र रायसिह अभियुक्त था, जिस कारण उन्हे कार्यवाही करने से रोकने के लिए अभियुक्त ने पत्थर फेंके थे। दौराने जिरह गवाह का कथन रहा है कि वह सुबह के समय कोलुखेडी चौकी से पंचपिपली जा रहे थे गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि जगन्नाथ उन्हे मौके पर नहीं मिला, अजखुद कहा कि पत्थर फेंककर भाग गया था। अभियुक्त लगभग 10-20 मीटर की दूरी से पत्थर फेंके। गवाह ने इस सुझाव का भी गलत होना बताया कि वह मोटरसाइकिल से गिर गये हो, जिससे रंगलाल के चोट आयी हो तथा जगन्नाथ का नाम झुठा बताया हो।

14. गवाह पी.ड.01 किसनाराम व पी.ड.04 मितेश जो कि फर्द गिरफ्तारी के गवाहन हैं, ने उनके मुख्य परीक्षण में बताया है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त जगन्नाथ को उनके समक्ष गिरफ्तार किया था, जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी01 है, जिस पर उनके हस्ताक्षर है।

15. गवाह पी.ड.05 छन्नू पठान जो कि प्रकरण का अनुसंधानकर्ता अधिकारी है, ने उसके बयानों में बताया है कि वह दिनांक 16.04.2016 को पुलिस थाना दांगीपुरा पर एसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन कॉनि. रंगलाल 460 व हेमराज कॉनि. 610 ने उपस्थित थाना होकर लिखित रिपोर्ट उसके समक्ष पेश की जिस पर उसने मुकदमा नंबर 56/2016 धारा 332, 353 भादस में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी० 02 है। चॉक एफआईआर प्रदर्श पी० 03 है। दौराने अनुसंधान बयान गवाहान रंगलाल व हेमराज कॉनि. के उनके कहेनुसार लेखबद्ध किये। रंगलाल की निशादेही से नक्शामौका बनाया जो प्रदर्श पी० 04 है। कॉनि. रंगलाल का चोट प्रतिवेदन संलग्न पत्रावली किया था, जो प्रदर्श पी० 05 है। प्रकरण में श्रीमान एसपी साहब के कार्यालय से रेडियोग्राम कमांक 79 दिनांक 13.04.2016 प्राप्त हुआ था जिसमें परिवादी भंवरलाल कहार निवासी पंचपिपली व उसके गवाहान

को दिनांक 16.04.2016 को एसपी कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पांबद करने का आदेश दिया गया था। रेडियोग्राम की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी06 है। उक्त दोनो कॉनि. उक्त दिनांक को चौकी कोलूखेडी थाना दांगीपुरा पर पदस्थापित थे। अनुसंधान से अभियुक्त जगन्नाथ के विरूद्ध धारा 332, 353 भादस का अपराध पाये जाने पर उसे जयें फर्द गिरफतार किया जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी० 01 है। बाद अनुसंधान अभियुक्त जगन्नाथ भील के विरूद्ध धारा 332, 353 भादस में आरोप पत्र माननीय न्याया लय में पेश किया। दौराने जिरह उक्त गवाह ने स्वीकार किया है कि दोनो कॉनि. उसके थाने पर ही कार्यरत थे।

16. इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत समग्र मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य को यदि सुक्षमता से देखा जाये तो हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष को सर्वप्रथम यह प्रमाणित करना था कि वक्त घटना फरियादीगण रंगलाल व हेमराज लोक सेवा में नियुक्त थे एवं राजकार्य हेतु घटनास्थल पर होते हुए मौजा पंचपीपली जा रहे थे। इस संबंध में परिवादी गवाह पी.ड.03 रंगलाल व प्रत्यक्षदर्शी गवाह पी.ड.02 हेमराज ने एक स्वर में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी02 की पुष्टि करते हुए मौखिक साक्ष्य दी है कि वह दोनों दिनांक 16.04.2016 को थाना दांगीपुरा चौकी कोलूखेडी कला पर कानि. के पद पर कार्यरत थे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय के आरजी क्रमांक 739 दिनांक 13.04.2016 की पालना में परिवादी कंवरलाल कहार को पाबंद करवाने के लिए प्राईवेट मोटरसाईकिल से चौकी से रवाना होकर पंचपीपली जा रहे थे परन्तु उक्त दोनों के ही लोकसेवक के रूप में पदस्थापन आदेश को न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। यद्यपि अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.ड.05 छन्नू पठान ने दौराने साक्ष्य अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त रेडियोग्राम क्रमांक 739 दिनांक 13.04.2016 को प्रदर्श पी06 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है तथा गवाह का आगे यह कहना है कि रेडियोग्राम की पालना में कानि. रंगलाल व हेमराज पंचपीपली गये थे। परन्तु प्रथमतः उक्त दस्तावेज प्रदर्श पी06 के अवलोकन से वह दिनांक 13.04.2016 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ द्वारा थानाधिकारी थाना दांगीपुरा के नाम जारी किया गया संदेश है। उक्त संदेश की पालना में थानाधिकारी द्वारा हेमराज व रंगलाल को ही रवाना किया हो, इस संबंध में पत्रावली पर कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। स्वयं अनुसंधान अधिकारी पी.ड.05 छन्नू पठान ने भी यह स्वीकार किया है कि रवानगी रपट पत्रावली पर नहीं है, कोलूखेडी कला से रवाना हुए थे, इसलिए वहां रपट डाली होगी। परन्तु ऐसी भी किसी रवानगी रपट को न्यायालय के समक्ष पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 57 की

उप धारा 7 में "किसी राज्य में लोक पद पर तत्समय आरूढ़ व्यक्तियों की नियुक्ति एवं पदस्थापन की न्यायिक अवेक्षा के संबंध में विधि बताई गई है तथा कर्मचारी की नियुक्ति किसी शासकीय राजपत्र में अधिसूचित हो तो कर्मचारी की नियुक्ति की न्यायिक अवेक्षा न्यायालय करेगा।'' परन्तु न्यायालय के मत में जो मौखिक साक्ष्य पत्रावली पर आई है, उसके अनुसार गवाह पी.ड.02 हेमराज व परिवादी/गवाह पी.ड.03 रंगलाल की कानि. के पद पर नियुक्त होने के संबंध में किसी शासकीय राजपत्र में प्रकाशन नहीं किया गया है, इस आधार पर धारा 57 साक्ष्य अधिनियम की न्यायिक अवेक्षा परिवादी पक्ष की नियुक्ति के संबंध में नहीं की जा सकती। केवल मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर हेमराज व रंगलाल की तत्समय सरकारी कर्मचारी के तौर पर नियुक्ति एवं तत्समय लोक कर्तव्य का निर्वहन भी प्रमाणित नहीं है।

परन्तु गवाह पी.ड.02 हेमराज व गवाह पी.ड.03 रंगलाल ने एक स्वर में भूतियापुरा के पास पहुंचने पर जगन्नाथ भील द्वारा पत्थर मारने से रंगलाल के सिर पर चोट आने की स्पष्ट साक्ष्य दी है। यद्यपि चिकित्सकीय साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पेश कर परीक्षित नहीं करवाया गया है परन्तु आहत रंगलाल का चोट प्रतिवेदन दौराने साक्ष्य रंगलाल प्रदर्श पी05 के रूप में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रदर्शित करवाया गया है। जिसके अवलोकन से उक्त चोट प्रतिवेदन दिनांक 16.04.2016 को 1 पीएम पर बना हुआ तथा रंगलाल के कुंद हथियार से साधारण प्रकृति की चोट आना प्रकट होता है। तहरीरी रिपोर्ट के मुताबिक घटना दिनांक 16.04.2016 को सुबह लगभग 8 बजे करीब की बातई गई है। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी01 की पुष्ट पर अंकित कार्यवाही पुलिस में भी मजरूब रंगलाल के सिर में बांयी तरफ खून आलूदा चोट आने का स्पष्ट अंकन है। उक्त चोट अभियुक्त जगन्नाथ द्वारा कारित किये जाने की स्पष्ट साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है, जिस बाबत् कोई खण्डन गवाहान की जिरह में नहीं हुआ है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त जगन्नाथ द्वारा घटना से सुसंगत समय, स्थान पर पत्थर फेंककर परिवादी रंगलाल के चोट कारित की गई थी।

17. यद्यपि अभियुक्त पर धारा 332, 353 भादस का आरोप विरचित किया गया है परन्तु पूर्वोक्त विवेचनानुसार उक्त दोनों ही धाराएं अभियुक्त के विरूद्ध प्रमाणित नहीं मानी गई है तथा साक्ष्य के विश्लेषण से अभियुक्त के विरूद्ध धारा 323 भासस का आरोप प्रमाणित हुआ है। यद्यपि अभियुक्त पर धारा 323 भादस के अपराध का आरोप विरचित नहीं किया गया है।

18. इस प्रकार साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण से चूंकि परिवादी पक्ष का वरवक्त घटना लोक सेवक होने व लोक कर्तव्य का निष्पादन करना युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं हुआ है परन्तु पत्रावली पर आई

उपरोक्त साक्ष्य के अवलोकन से अभियुक्त द्वारा परिवादी/गवाह पी.ड.03 रंगलाल को कुंद हथियार से साधारण उपहतियां कारित किया जाना प्रकट होता है। ऐसे में पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध यद्यपि धारा 332, 353 भादस का अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता, परन्तु धारा 323 भादस का अपराध बनना पाया गया है। यद्यपि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 323 भादस का आरोप विरचित नहीं किया गया है परन्तु धारा 222 सीआरपीसी के प्रावधानों के प्रकाश में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 332, 353 भादस का अपराध प्रमाणित नहीं होकर धारा 323 भादस का अपराध प्रमाणित हुआ है। अतः अभियुक्त जगन्नाथ को उसके विरूद्ध प्रमाणित धारा 323 के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

19. अतः अभियोजन पक्ष प्रकरण को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 16.04.2016 को समय 8.00 बजे या इसके लगभग, मौजा/स्थान कोलूखेडी चौकी से मौजा पंचपीपली में परिवादी/आहत रंगलाल के साथ कुन्द हथियार से मारपीट कर उसके शरीर पर स्वेच्छापूर्वक साधारण उपहतियां कारित की। अतः अभियुक्त जगन्नाथ को उसके विरूद्ध प्रमाणित धारा 323 भां०दं०स० में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

--आदेश--

20. अतः अभियुक्त जगन्नाथ पुत्र रतनलाल उम्र 75 वर्ष निवासी मेडी का पुरा हनोतिया पुलिस थाना दांगीपुरा जिला झालावाड़ (राज०) को उसके विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 332, 353 भां०दं०स० में दोषमुक्त एवं उसके विरूद्ध प्रमाणित धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(रचना वैष्णव)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मनोहरथाना जिला-झालावाड़ (राज.)

21. सजा के प्रश्न पर सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि अभियुक्त ग्रामीण परिवेश का गरीब व 75 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है। अभियुक्त का प्रथम अपराध है। अभियुक्त ने इस आशय का शपथ पत्र पेश किया कि पूर्व में उसे माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं किया गया है। अभियुक्त लम्बे समय से प्रकरण में अन्वीक्षा भुगत रहा है तथा वयोवृद्ध है। अतः अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधान का लाभ दिया जाए। अभियोजन अधिकारी ने उक्त तर्कों का विरोध किया।

22. उभय पक्ष के तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि अभियुक्त का प्रथम अपराध है। पूर्व की दोषसिद्ध साबित नहीं है और उक्त आशय का शपथ पत्र भी पेश है। अभियुक्त उक्त प्रकरण में

वर्ष 2016 से अन्वीक्षा भुगत रहा है तथा 75 वर्षीय वयोवृद्ध है। अभियुक्त के विरूद्ध मात्र धारा 323 भां०दं०स० का आरोप ही प्रमाणित हुआ है। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-दण्डादेश-

23. अतः अभियुक्त जगन्नाथ पुत्र रतनलाल उम्र 75 वर्ष निवासी मेडी का पुरा हनोतिया पुलिस थाना दांगीपुरा जिला झालावाड़ (राज०) को उसके विरूद्ध प्रमाणित धारा 323 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दोषसिद्धि के लिए परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) के तहत आदेशित किया जाता है कि वह अधोलिखित शर्तो के अधीन 10,000/-रूपये का बंध पत्र एवं इसी कदर राशि का जमानतनामा न्यायालय की संतुष्टिनुसार प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे सदाचरण की परिवीक्षा पर रिहा कर दिया जावेः-

1 अभियुक्त एक वर्ष की अवधि तक शांति एवं सदाचरण बनाये रखेगा तथा उक्त अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

2. न्यायालय द्वारा जब भी तलब करने पर न्यायालय में उपस्थित आयेंगा तथा आदेशित दण्डादेश प्राप्त करेगा।

24. साथ ही परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5(1)(बी) के तहत अभियुक्त पर कुल 500/-रूपये (अक्षरे पांच सौ रूपये मात्र) अभियोजन व्यय के आरोपित किये जाते है, जो राशि न्यायालय में जमा कराई जावे। अभियुक्त द्वारा धारा 437-ए दण्ड प्रक्रिया संहिता में वर्णित प्रावधानों की पालना में अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए अभियुक्त द्वारा 10,000/-रूपये की राशि की जमानत एवं इसी कदर राशि का मुचलका पेश कर तस्दीक करावे जो छः माह की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।

(रचना वैष्णव)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मनोहरथाना, जिला-झालावाड़ (राज०)

25. निर्णय आज दिनांक 23.07.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित, मुद्रांकित किया जाकर सुनाया गया।

(रचना वैष्णव)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मनोहरथाना, जिला-झालावाड़ (राज०)

प्रमाण पत्र

निर्णय/आदेश में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

मोहन सोनी
आशुलिपिक द्वितीय

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।